न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 65 / 2025

अपीलांट –	***बनाम***	**रेस्पोडेंट्स –**
नीम्बसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी कुमावत नगर, गूंगा तहसील शिव जिला बाड़मेर		1. टीकमाराम पुत्र विरधाराम जाति मेघवाल निवासी बीसुकला तहसील शिव जिला बाड़मेर 2. तहसीलदार शिव

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक LR / 2025 / 3090 दिनांक 13.11.2025 जो श्रीमान तहसीलदार शिव द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री देवीलाल कुमावत, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री भजनलाल गोदारा, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पो0 सं. 2 प्रर्फोमा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 27.01.2026

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार शिव के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक LR / 2025 / 3090 दिनांक 13.11.2025 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा कुमावत नगर पटवार हल्का गूंगा में अपीलांट एवं उत्तरदाता सख्या 01 के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 1656 / 382, 1663 / 383 रकबा क्रमशः 1–8130, 0–6313 हैक्टेयर अपने–अपने हिस्सों माफिक बाहमी तौर से किए गए बंटवाडा अनुसार माफिक कृषि जोतो का विभाजन करने बाबत उत्तरदाता संख्या 02 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर उत्तरदाता संख्या 01 द्वारा पटवारी से मिलावट कर दिनांक 13.11.2025 को बंटवाडा करवा दिया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.12.2025 को प्रस्तुत की गई तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र तथा स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 13:05:30 IST
Reason: SelfAttested

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाधीन अभिलेख तलब किया जाकर अवलोकन किया।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण को सुना। अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि मौजा कुमावत नगर पटवार हल्का गूंगा में अपीलांट एवं उत्तरदाता सख्या 01 के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 1656 / 382, 1663 / 383 रकबा क्रमशः 1–8130, 0–6313 हैक्टेयर आए हुए हैं। उक्त भूमि में अपीलांट एवं रेस्पों संख्या 01 अपने–अपने हिस्सों माफिक बाहमी तौर से किए गए बंटवाडा अनुसार माफिक कृषि जोतो का विभाजन करने बाबत उत्तरदाता संख्या 02 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें उत्तरदातागण संख्या 01 का विश्वास कर अपीलांट द्वारा विभाजन प्रस्ताव एवं नक्शे पर हस्ताक्षर किये। अपीलांट द्वारा पुछने पर उत्तरदातागण संख्या 01 द्वारा बताया गया कि उक्त नक्शा में पटवार हल्का मौका पर कब्जा काश्त के अनुसार सही रंग भरेगें, परन्तु उत्तरदाता संख्या 01 ने पटवारी से मिलावट कर नक्शा अपनी मर्जी से भरवा कर दिनांक 13.11.2025 को बंटवाडा करवा दिया, जो निरस्त योग्य है। अपीलांट व उतरदातागण के मध्य जो बंटवाडा हुआ है वह कब्जे काश्त के अनुसार नहीं हुआ है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने व मौके पर भौतिक कब्जा–काश्त अनुसार नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि वर्तमान में बंटवाडा के बाद उतरदाता संख्या 01 द्वारा मौके पर दस्तावेजो के अनुसार बंटवाडा करवाने हेतु अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने का प्रयास करने लगा, जिस पर अपीलांट ने कहा कि हम मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार काबिज है जिस पर उतरदाता ने कहा कि मौके की स्थिति में एवं तरमीम में भिन्नता है। जिस पर अपीलांट को अपने हक संशयप्रद लगे तब अपीलांट ने उक्त सहमति विभाजन की हल्का पटवारी से नकलें मांगी जो नकले अपीलांट को दिनांक 10.12.2025 को प्राप्त हुई। इस पर जानकारी होने से यथा शीघ्र अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने के लिए धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र अपील के संलग्न प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मयाद शुमार की किये जाने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का भी निवेदन किया है।

6. रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने जवाब में प्रकट किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट्स की संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा कुमावत नगर पटवार हल्का गूंगा में अपीलांट एवं उत्तरदाता सख्या 01 के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 1656 / 382, 1663 / 383 रकबा क्रमशः 1–8130, 0–6313 हैक्टेयर आई हुई है। पक्षकारान के मध्य विभाजन कब्जा काश्त अनुसार नहीं होने से अपीलांट की उक्त अपील स्वीकार योग्य है। रेस्पोडेंट संख्या 01 को किसी प्रकार की कोई आपत्ति व उजर ऐतराज नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 13:05:30 IST
Reason: SelfAttested

7. हमने अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा कुमावत नगर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पटवार हल्का गूंगा में अपीलांट एवं उत्तरदाता सख्या 01 के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 1656 / 382, 1663 / 383 रकबा कमशः 1–8130, 0–6313 हैक्टेयर अपने–अपने हिस्सों माफिक बाहमी तौर से किए गए बंटवाडा अनुसार माफिक कृषि जोतो का विभाजन करने बाबत उत्तरदाता संख्या 02 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर उत्तरदाता संख्या 01 द्वारा पटवारी से मिलावट कर दिनांक 13.11.2025 को बंटवाडा करवा दिया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.12.2025 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र तथा स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अपीलाधीन विभाजन मौके पर भूमि पर कब्जा काश्त व रहवास के अनुसार नहीं किया गया। जिससे अपीलांट की ढाणी, बाडे इत्यादि उतरदाता के हिस्से मे चली गई। पक्षकारान के मध्य हुए बाहमी बंटवाडे अनुसार नहीं किया गया है तथा नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जे काश्त में भारी भिन्नता है। जिस कारण अपीलांट की ढाणी, बाडे इत्यादि उतरदाता संख्या 01 के कब्जे मे चले गये है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अपीलांट के अधिवक्ता के इस अभिकथन को अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा ताईद करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने बाबत अनापत्ति प्रकट की गई हैं। अपीलांट के मुख्य कथन में प्रकट किया गया हैं कि पक्षकारान की पृथक–पृथक रहवासी ढाणी, बाडे इत्यादि बने हुए है तथा अपीलाधीन विभाजन मौका कब्जा अनुसार नहीं होने से पक्षकारान के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। इस प्रकार अधिवक्ता पक्षकारान द्वारा प्रकट तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शिव द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार शिव द्वारा पारित विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक LR / 2025 / 3090 दिनांक 13.11.2025 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार शिव को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 27.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 13:05:30 IST
Reason: SelfAttested

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

न्यायालय जिला ... सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर बाड़मेर